न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)
प्रकरण स. : 06/2022 (राजस्व अपील)
GCMS NO : 2022/41

अनवान

1. श्री शंकरलाल पिता स्व. श्री वाला मीणा निवासी उगमणा कोटडा तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती हन्तु बेवा सवजीराम मीणा, निवासी उगमणा कोटडा, तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर।
2. पटवारी, पटवार मण्डल गरनाला, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर।
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)

— विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री विजय कुमार ओस्तवाल, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रा.पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 बाबत् निरस्त कराये जाने आंवटन आदेश दिनांक 18.02.2006 अन्तर्गत प्रकरण सं. 426/06

* निर्णय *

दिनांक — 31-03-2023

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा उगमणा कोटडा तहसील ऋषभदेव की आराजी नम्बर 551 रकबा 0.12 है. आराजी नम्बर 557 रकबा 0.63 है. जमीन विपक्षी संख्या 1 को जरिये आवंटन क्रमांक 426/2006 दिनांक 18.02.2006 को उपखण्ड अधिकारी महोदय, सलूम्बर जिला उदयपुर द्वारा आवंटित की गई जो वर्तमान जमाबंदी में विपक्षी संख्या 1 के नाम सम्पूर्ण हिस्से से संवत् 2075 से 2078 तक की जमाबंदी में राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। आवंटन कमेटी द्वारा विपक्षी संख्या 1 को जिन शर्तो पर भूमि आवंटन की गई थी, विपक्षी संख्या 1 द्वारा उदक्त शर्तो की पालना नहीं की गई। विपक्षी संख्या 1 द्वारा उक्त शर्तो की पालना नहीं किये जाने से विपक्षी संख्या 1 को किया गया उक्त आवंटन निरस्त के योग्य है, और वेसे भी आवंटन कमेटी द्वारा विपक्षी संख्या 1 को उक्त भूमि आवंटन करने से पूर्व किसी प्रकार की उद्घोषणा नहीं की गई और न ही नोटिस आम

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.08.01 17:07:12 IST
Reason: SelfAttested

चौराहे एवं बोर्ड पर चस्पा किये गये और न एतराज प्राप्त हेतु समय सीमा निर्धारित की गई। विपक्षी संख्या 1 को मौजा उगमणा कोटडा, में स्थित आराजी नम्बर 551, 557 जमीन जो आंवटित की गई, वह राजनैतिक प्रभाव एवं सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से आवंटित की गई। आवंटित भूमि पर आवंटन कमेटी की ओर से पटवारी अथवा किसी अन्य अधिकारी द्वारा आवंटन विपक्षी संख्या 1 को न तो कभी मौके पर कब्जा सिपूर्द किया गया और न ही विपक्षी संख्या 1 द्वारा मौके पर कब्जा प्राप्त किया। इस प्रकार आंवटित भूमि पर काश्त नही की गई हैं, ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या 1 द्वारा आंवटित भूमि की शर्तो की पालना नहीं की गई है। इस कारण विपक्षी संख्या 1 को किया गया उक्त आवंटन निरस्त होने योग्य हैं। विपक्षी संख्या 1 अपनी ताकत के बल पर प्रार्थी की कब्जेशुदा भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और इस हेतु अपने ताकत के बल पर प्रार्थी के साथ लडाई झगडा करने पर आमादा है। प्रार्थी आराजी खसरा नम्बर 557 के हिससे पर काबिज है, जो करीब 70–80 वर्षो से काबिज चले जा आ रहे है। पास में ही प्रार्थी का मकान बना हुआ है, जिसके सटमा उक्त आराजी है। उक्त आराजी के चारों तरफ थूर की बाड लगी हुई हैं, घास काटने एवं मवेशी चराने के लिये उपरोक्त आराजी का उपयोग प्रार्थी कर रहा हैं, और इस बाबत् मौका पर्चा रिपोर्ट भी तैयार की गई, जिसमें भी गावं के मौतबीराम द्वारा प्रार्थी का कब्जा बताया गया है। कभी भी विपक्षी संख्या 1 का कोई कब्जा नहीं रहा। इस बाबत् ग्राम पंचायत उगमणा कोटडा द्वारा भी एक प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील ऋषभदेव को प्रस्तुत किया गया, जिस पर तहसीलदार साहब द्वारा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने बाबत् सूचित किया था। विपक्षी संख्या 1 द्वारा मौजा उगमणा कोटडा के आराजी नम्बर 557 का सम्पूर्ण हिस्सा आवंटन कराया है, वह फर्जी तरीके से एवं कपट पूर्वक तथ्यों को छुपाते हुए कराया गया है। विपक्षी संख्या 1 के पति सवजीराम सरकारी नौकरी में होकर आर्मी में कार्यरत थे, और उनके नाम राजस्व रेकार्ड में अन्य आराजियात भी दर्ज थी, उसके बावजूद सरकारी नौकरी में रहते हुए उक्त तथ्यों को छुपाते हुए जो उक्त भूमि आवंटित कराई गई हैं वह आवंटन कपट पूर्वक कराये जाने के कारण आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। आवंटित भूमि पर आवंटी को काश्त करना आवश्यक हैं लेकिन आवंटी द्वारा आवंटन भूमि पर कभी कोई काश्त नहीं की गई। आवंटी काश्तकार नहीं है। वैसे भी आवंटी भूमिहिन काश्तकार भी नहीं थी उसके बावजूद आंवटन कमेटी में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर भूमि अपने नाम आंवटन करा दी। आवंटित भूमि पर कभी कब्जा नही रहा है ओर यह तथ्य राजस्व रेकार्ड एवं खसरा गिरदावरी से साबित होता है। विपक्षी संख्या 1 को किये गये आवंटन की कोई जानकारी प्रार्थी को नहीं थी। कथित आवंटन के आधार पर विपक्षी संख्या 1 अपनी ताकत के बल पर मुझ प्रार्थी को मेरी कब्जेशुदा उक्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा हुई, और जमीन अवंटन की

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.08.01 17:07:12 IST
Reason: SelfAttested

जानकारी माह जनवरी 2022 में दी, जानकारी होने के बाद वास्तविक स्थिति का पता लगाने हेतु वकील साहब से सम्पर्क किया वास्तविक स्थिति का पता लगा राजस्व रेकार्ड प्राप्त किया, और अविलम्ब यह प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत किया। सहूलियत के लिये दफा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी को मौजा उगमणा कोटडा, तहसील ऋषभदेव में स्थित आराजी नम्बर 557 रकबा 0.63 हैक्टेयर की जमीन जो विपक्षी संख्या 1 को आवंटित की गई है, के आवंटन को निरस्त फरमाया जाकर उसका अंकन राजस्व रेकार्ड में दर्ज फरमाया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं रहे।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं नजीर RBJ(5) 1998 page 554, RBJ (20) 2013 page 698, RRD Feb 2007 page 93, RBJ(14) 2007 page 492, RBJ(7)2000 page 547, RRD 1995 page 340, RRD 1994 page 311, RRT 2007(2) page 1048 पेश कर नवेदन किया कि वर्ष 2006 में आवंटन हुआ है। दो पत्रावलियां /आवेदन पेश हुये है दोनो में आवंटन हुआ तथा दोनो को एक दूसरे से छूपा लिया। आवंटन आवेदन में पूर्व की भूमि होना स्वीकार है। सवजीराम राजकीय कार्मिक होकर सरकारी सेवा में कार्यरत था। आवेदन में भूतपूर्व सैनिक लिखा हुआ है। आ.न. 551 एवं 557 पर कभी कब्जा नही रहा हमारा कब्जा चला आ रहा है। मौका पर्चा रिपोर्ट 24.01.2022 मे कब्जा अंकित किया है। मौके पर्चे के लोगो के एफीडेविट पेश किये है। मौके के फौटोग्राफ भी पेश किये है। ग्राम पंचायत गरनाला कोटडा की दिनांक 31.01.2022 की रिपोर्ट प्रस्तुत है। अतः आवंटन निरस्त किया जाने का निवेदन किया।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया, पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, आवंटन पत्रावली, न्यायिक दृष्टान्त आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से अध्ययन किया। प्रार्थीगण का तर्क है कि आवंटन शर्तो की पालना नही की गई है एवं मौके पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं होकर कृषि नहीं की जा रही है। वर्णित भूमि आ.न. 557 के 0.20 हेक्टेयर भूमि पर प्रार्थी का कब्जा शुरू से चला आ रहा है। प्रार्थी का कथन है कि विपक्षी का पति सरकारी सेवामें भूतपूर्व सैनिक होते हुए भी प्रार्थी द्वारा आवंटन करा लिया गया है जिसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा पत्रावली के साथ प्रस्तुत पर्चा मौका दिनांक 24.01.22 की छांयाप्रति, ग्राम पंचायत

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Bunkar
Date: 2023.08.01 17:07:12 IST
Reason: SelfAttested

उगमणा कोटडा का पत्र क्रमांक 7/2022 दिनांक 31.01.2022 की प्रति, पटवारी गरनाला की रिपोर्ट दिनांक 28.01.2022 की प्रति, गवाह श्री मावजी पिता दीताजी मीणा, श्री जयशंकर पिता नाना मीणा, श्री मोहन पिता हिरा मीणा, श्री शिवलाल पिता देवीलाल मीणा, श्री अम्बा पिता मेगाा मीणा,श्री विजयपाल पिता बंशीलाल मीणा, श्री लक्ष्मणलाल पिता खेमा मीणा सभी निवासियान उगमणा कोटडा के शपथ पत्र की प्रति का अवलोकन किया जिसमें आराजी नम्बर 557 के 0.20 हेक्टेयर भूमि पर प्रार्थी शंकरलाल पिता वालाजी का 70–80 वर्षो से कब्जा होना बताया है। इससे प्रथम दृष्टया यह साबित होता है कि वर्णित भूमि में विपक्षीया का कब्जा नहीं रहा है। विपक्षीया को आवंटन आदेश 426/06 के आवंटन शर्तो में शर्त संख्या 5 ए '' खासतौर आवंटन की शर्तो के अनुसार भूमि में काश्त नहीं करता है और न पूर्ण रूप से उसका उपयोग करता है । '' की पालना नहीं गई है। ग्राम पंचायत एवं पटवारी गरनाला द्वारा भी मौके पर आराजी नम्बर 557 रकबा 0.63 हेक्टेयर में से 0.20 हेक्टेयर पर हन्तु का कब्जा नहीं होकर प्रार्थी श्री शंकरलाल का कब्जा होना बताया है। विपक्षी बावजूद सूचना प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के खण्डन हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ जिससे भी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को बल मिलता है।

अतः उपरौक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षीया श्रीमती हन्तु बेवा सवजीराम मीणा को को वर्णित भूमि आवंटन आदेश दिनांक 18.02.2006 को आवंटन हुई थी। मौके पर आवंटित भूमि आ.न. 557 के रकबा 0.63 हे. में से 0.20 हे. भूमि पर विपक्षीया का कब्जा नहीं होकर प्रार्थी श्री शंकरलाल का कब्जा हैं, जिसकी पुष्टी ग्राम पंचायत एवं पटवारी द्वारा की गई है। पटवारी हल्का गरनाला कोटडा के द्वारा तहसीलदार ऋषभदेव को पेषित जांच रिपोर्ट दिनांक 06.05.2022 की प्रति के बिन्दू संख्या 3 में स्पष्ट आ.न. 557 से 83 मी. X 04 मी. का सी.सी.रोड बना होना एवं उक्त आराजी 2 भागो में विभाजित होकर सी.सी. रोड के बांयी ओर स्वंय खातेदार हन्तु का निवासरत मकान एवं काश्त की गई भूमि एवं सीसी रोड के दांयी ओर प्रार्थी शंकरलाल मीणा के मकान बनाने हेतु रकबा 0.0100 है. पर नींव खुदाई करना बताया है। आवंटन की शर्त संख्या 5ए '' खासतौर आवंटन की शर्तो के अनुसार भूमि में काश्त नहीं करता है और न पूर्ण रूप से उसका उपयोग करता है ।'' अर्थात विपक्षीया द्वारा आवंटन शर्तो की पालना भी नहीं की गई है। अतः ऐसी स्थिति में आराजी नम्बर 557 के आधे भाग में हन्तु बेवा सवजीराम का कब्जा नहीं होकर प्रार्थी श्री शंकरलाल का कब्जा होने से शंकरलाल के कब्जे की हद तक किया गया अर्थात 0.20 हेक्टेयर भूमि का आवंटन निरस्त योग्य पाया जाता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीरों के तथ्य इस प्रकरण से भिन्न होने पर इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.08.01 17:07:12 IST
Reason: SelfAttested

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू.राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 अन्तर्गत नियम 14(4) का स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम उगमणा कोटडा तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर की आराजी स. 557 रकबा 0.63 है. में से 0.20 है. का आवटंन निरस्त किया जाता है एवं कथित भूमि को राजस्व अभिलेख मे बिलानाम सरकार दर्ज करने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार ऋषभदेव को निर्णय की प्रति भेजकर लेख है कि निर्णय की पालना सुनिश्चित करावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.08.01 17:07:12 IST
Reason: SelfAttested